

पत्रांक-11/विविध-06-02/2014 (छाया संचिका)-

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश


कमलादित्या कन्सट्रक्शन प्रा० लि०, मु०-201, कॉपरेटिव कॉलनी, पो०- बोकारो स्टील सिटी, जिला-बोकारो द्वारा नेपाल हितकारी योजना 2009 के तहत कराये गये कार्य के विरुद्ध प्राप्त परिवाद की जाँच निगरानी विभाग द्वारा की गई। निगरानी विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर पायी गई अनियमितता के संबंध में विभागीय पत्रांक 954 दिनांक 25.02.14 द्वारा संवेदक के निबंधन को काली सूची में डाले जाने के संबंध में उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया और दिनांक 21.03.14 तक उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर उनके निबंधन को काली सूची में डाले जाने हेतु दिनांक 22.03.14 को निर्णय लिया गया जो ज्ञापांक-1240 दिनांक 24.03.14 द्वारा निर्गत हुआ।

संवेदक द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 3569/2014 कमलादित्या कन्सट्रक्शन प्रा० लि० बनाम बिहार सरकार एवं अन्य पूर्व से दायर किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा उसमें एक आई एं० नं० 1837/2014 भी दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के पश्चात् दिनांक 05.03.14 को अंतरिम आदेश पारित किया गया जो अपर महाधिवक्ता-14 के ज्ञापांक 2395 दिनांक 06.03.14 द्वारा विभाग को सूचित किया गया। उसके माध्यम से उक्त आई० एं० का प्रतिशपथ पत्र दायर करने एवं मूल संचिका दिनांक 24.3.14 को प्रस्तुत किए जाने की सूचना दी गई।

दिनांक 31.3.14 को अपर महाधिवक्ता-14 के कार्यालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं० 3569/2014 में एक अन्य आई० एं० नं०/2014 की प्रति विभाग को प्राप्त करायी गई जिसमें दिनांक 05.03.14 को पारित अंतिम आदेश की प्रति भी एनेक्सचर-17 के रूप में संलग्न किया गया था। उसके अंतिम कंडिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह कहा गया कि दिनांक 25.02.14 को कारण-पृच्छा नोटिस पर अगले आदेश तक कार्रवाई नहीं की जाय। माननीय उच्च न्यायालय का यह निर्देश औपचारिक रूप से दिनांक 31.03.14 के पूर्व प्राप्त नहीं हुआ।


अपर महाधिवक्ता-14 द्वारा दिनांक 31.3.14 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.14 को पारित अंतरिम न्याय निर्णय के संदर्भ में एक पत्र विभाग को प्राप्त कराया गया जिसमें दिनांक 24.03.14 को याचिकाकर्ता के कालीकरण संबंधी पारित आदेश को वापस लेने हेतु परामर्श दिया गया।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय ज्ञापांक 1240 दिनांक 24.03.14 द्वारा निर्गत आदेश को तत्काल वापस लिया जाता है।


(राम पूकार रंजन) 31/03/14
अभियंता प्रमुख(मध्य)
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक 11 / विविध-06-02 / 2014 (छाया संचिका)- 1401 पटना, दिनांक 31-03-2014

प्रतिलिपि :- कमलादित्या कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, निदेशक, श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, मु0-201, को-कॉपरेटिव कॉलनी, पो0-बोकारो स्टील सिटी, जिला-बोकारो, पिन कोड-827001 को सूचनार्थ प्रेषित ।



(राम पुकार रजन)

अभियंता प्रमुख(मध्य)

जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक 1401 पटना, दिनांक 31-03-2014

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग / प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / सचिव, पथ निर्माण विभाग / सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग / सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना / सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2/3/4, पटना / श्री गजानंद मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को उनके गैर सरकारी प्रेषण संख्या-30 दिनांक 13.02.14 के प्रसंग में / निदेशक कय भंडार एवं सामग्री प्रबंध / आई. टी. मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।



(राम पुकार रजन)

अभियंता प्रमुख(मध्य)

जल संसाधन विभाग ।


ज्ञापांक 11 / विविध-06-02 / 2014 (छाया संचिका)- 1401 पटना, दिनांक 31-03-2014

प्रतिलिपि :- प्रतिलिपि अपर महाधिवक्ता-14, पटना उच्च न्यायालय को उनके पत्रांक शून्य दिनांक 31.3.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(राम पुकार रजन)

अभियंता प्रमुख(मध्य)

जल संसाधन विभाग ।


K. S. Mehta

10